संख्या–1748 /15–8–2022–3009/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–8 लखनऊ: दिनांक: 24 नवम्बर, 2022

विषयः– उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः–सामान्य(1)प्रथम/306/2022–23 दिनांक09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–तीन के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अवगत कराना है कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 में उपान्तरण हेतु स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड के स्थान पर स्तम्भ–2 में एतद्द्वारा खण्ड निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **प्रतिस्थापित खण्ड**
103– यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के एक सदस्य को जो 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के पद रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर यदि वह पद के लिए विहित अपेक्षित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताएं यदि कोई हो, रखता हो, और नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो, नियुक्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण :– इस विनियम के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब का सदस्य" का तात्पर्य मृतक की विधवा/विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री से होगा। टिप्पणी:– यह विनियम और विनियम 104से 107 तक उन मृत कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू होगा, जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 1981 को या उसके पश्चात् हुई हो ।	**103–** यदि किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था (अल्पसंख्यक संस्था सहित) का शिक्षण या शिक्षणेत्तर स्टाफ के किसी कर्मचारी की जो विहित प्रकिया के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत कर्मचारी का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो और 18 वर्ष से कम आयु का न हो, प्रशिक्षित स्नातक की श्रेणी में अध्यापक के रूप में या किसी शिक्षणेत्तर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, यदि ऐसा व्यक्तिः– (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक या प्रशिक्षण अर्हतायें पूरी करता हो: परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक कर्मचारी का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया

As Draft 1048

Scanned with CamScanner

	जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। (दो) नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त हो। स्पष्टीकरणः– इस विनियम के प्रयोजनार्थ (ग)"कुटुम्ब के सदस्य" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बधी होंगे:– (एक) पत्नी या पति (दो) पुत्र या दत्तक पुत्र (तीन) पुत्रियां (जिसमें दत्तक पुत्रियॉ सम्मिलित है) और विधवा पुत्र बधुऍं। (चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था। (पांच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी। "परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उक्त उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी शामिल होंगी।"
104– किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्धतंत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के दशा में मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिपोंट प्रस्तुत करेगा, जिसमे मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनांक, मृत्यु का दिनाक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यों का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हताये और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियां दर्ज करेगा।	**104–** किसी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त सस्था का प्रबन्धतत्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक मृत्यु होने के सात दिन के भीतर निरीक्षक को एक रिपोंट प्रस्तुत करेगा, जिसमे मृत कर्मचारी का नाम, धृत पद, वेतनमान, नियुक्ति का दिनाक, मृत्यु का दिनाक, उसके नियोजक संस्था का नाम और उसके कुटुम्ब के सदस्यो का नाम, उनकी शैक्षिक अर्हतायें और आयु आदि दिया जायेगा। निरीक्षक अपने द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में मृतक की विशिष्टियॉ दर्ज करेगा।
105– विनियम–104 मे निर्दिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के	**105–** विनियम 104 मे निर्दिष्ट मृत कर्मचारी के कुटुम्ब का कोई सदस्य संबंधित निरीक्षक को अर्हतानुसार सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

Scanned with CamScanner

लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमे आवेदक को विनियम 106 मे दिये गये उपबन्धो के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति मे निम्नलिखित होगे:– 1– जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष 2–जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय मे लेखाधिकारी – सदस्य 3– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य	प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा और समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की संस्तुति किए जाने के पश्चात् उस संस्था के जिसमे आवेदक को विनियम 106 मे दिये गये उपबन्धों के अनुसार सेवायोजित किया जाना है, प्रबन्धतंन्त्र या यथास्थिति प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक, को आवेदन पत्र नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेजेगा। समिति में निम्नलिखित होगे:– 1– जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष 2– वित्त एवं लेखाधिकारी(माध्यमिक शिक्षा)– सदस्य 3–वरिष्ठतम् प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज/ राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सदस्य परन्तु जहाँ मृत कर्मचारी के आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त सेवायोजन के लिए आवेदन करता है, वहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियम समय–सीमा से किसी विशिष्ट मामले मे असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है: परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा, और आवेदन करने के लिए नियत समय–सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के संबंध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।
106– मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासम्भव उसी संस्था मे की जायेगी जहाँ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था मे शिक्षणेत्तर सवर्ग में कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहाँ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था मे ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो, उस संस्था मे जहाँ मृतक अपनी मृत्यु के समय सेवारत था, नियुक्ति किसी अधिसंख्य पद पर तुरन्त की जायेगी। ऐसे अधिसंख्य पद को इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और उसे तब तक जारी रखा जायेगा जब तक कोई रिक्ति उस संस्था मे या जिले की किसी अन्य मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था में उपलब्ध न हो जाये और ऐसी स्थिति मे अधिसंख्य पद के पदधारी द्वारा की गयी सेवा की गणना वेतन	106– मृत कर्मचारी के कुटुम्ब के सदस्य की नियुक्ति यथासम्भव उसी संस्था में की जायेगी जहाँ मृत कर्मचारी अपने मृत के समय सेवारत था। यदि ऐसे संस्था मे सहायक अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर सवर्ग मे कोई रिक्ति न हो तो उसकी नियुक्ति, जिले के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त संस्था में जहाँ ऐसी रिक्ति हो, की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बन्धित जिले के किसी मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था मे ऐसी रिक्ति तत्समय विद्यमान न हो तो, जनपदीय समिति द्वारा प्रकरण मण्डलीय समिति को सन्दर्भित किया जायेगा तथा मण्डलीय समिति द्वारा मण्डल मे उपलब्ध रिक्ति के प्रति मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा। यह भी कि यदि मण्डल स्तर पर पद रिक्त न हो अथवा मृत कर्मचारी का आश्रित अन्य मण्डम में अपनी नियुक्ति चाहता है तो प्रकरण निदेशालय को सन्दर्भित किया जायेगा, जिस पर निदेशालय स्तर पर निम्नवत गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा:– 1–अपर शिक्षा निदेशक(मा0) – अध्यक्ष, 2–संयुक्त शिक्षा निदेशक(अर्थ) – सदस्य 3–उप शिक्षा निदेशक (मा0–2/ मा0–3) –सदस्य

Scanned with CamScanner

निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों के लिये की जायेगी।	निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त सहमति की दशा में जनपदों से प्राप्त रिक्ति के सापेक्ष सेवायोजन हेतु रिक्ति से सम्बन्धित जनपदीय समिति को अधिकृत किया जायेगा।
107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा।	107– जिन मान्यता, सहायता प्राप्त संस्था द्वारा जिसको निरीक्षक द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आवेदन पत्र भेजा गया है, वह आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर निरीक्षक को सूचना देते हुये नियुक्ति पत्र जारी करेगा। समयान्तर्गत यदि निरीक्षक द्वारा युक्तयुक्त कारण न होने पर भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, तो निरीक्षक के विरूद्व प्रत्यावेदन प्राप्त होने की दशा मे शिक्षा निदेशक द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 के संदर्भ मे एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर शिक्षा निदेशक(मा0)/वित्त नियंत्रक(मा0) उ0प्र0, प्रयागराज,
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16 छ के अधीन निर्मित विनियमों के अध्याय–3 के विनियम 103 से 107 के संदर्भ में प्रतिस्थापित खण्ड को सरकारी गजट में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)
4. गार्ड फाईल।

17.11.2022

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0 सामान्य(1)तृतीय/ 10646-566 /2022–23 दिनांक 25 नवम्बर, 2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त शसनादेश के आधार पर गजट नोटिफिकेशन जारी कराने का कष्ट करें।
02– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
03– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश।
04– उप शिक्षा निदेशक(मा0–1/2), लखनऊ/प्रयागराज।
05– गार्ड फाइल।

(राम चेत)
उप शिक्षा निदेशक(मा0–3)
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

Scanned with CamScanner